

19.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही
आयें। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज
लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व
उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण
वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



W. S. J. C.